प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 19.09.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन: दुष्कर्म के मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी

वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने के आरोप में 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल ₹32 हजार अर्थदण्ड

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली महोदय एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना रौजा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों एवं कुल 07 गवाहों को समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे-43, शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त राजेश पुत्र सूबेदार नि0मो0 बडीलतपुरी, थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹32 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना रोजा पुलिस की त्वरित कार्यवाही से लडकी को बरामद कर दिलाया न्याय, अभियुक्त को दिलाई कठोर सजा

दिनांक 25.11.12 को वादिनी द्वारा थाना रोजा में लिखित तहरीर देकर बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री को पातीराम व राजकुमार पुत्रगण नेपाल (निवासीगण ग्राम जमुही, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर) के घर रहने वाले उनके रिश्तेदार राजेश पुत्र सूबेदार नि0मो0 बडीलतपुरी, थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज दिनांक 28.10.12 को समय करीब 20.00 बजे बहला फुसलाकर भगा ले गया हैं। तहरीर मिलते ही मामले की गम्भीरता एवं वादिनी की तहरीर के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना रोजा पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान एकत्रित भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों, चिकित्सकीय साक्ष्य तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर विवेचक उ0नि0 श्री वेदराम सिंह द्वारा अभियुक्त राजेश उपरोक्त के विरूद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस एवं अभियोजन की निरन्तर एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजेश पुत्र सूबेदार नि0मो0 बडीलतपुरी, थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹32 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण

राजेश पुत्र सूबेदार, नि0मो0 बडीलतपुरी, थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 502/12, धारा 366/324/376 भादवि, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

प्रकरण का विवरण

प्रकरण में अभियुक्त राजेश उपरोक्त द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने का आरोप था। प्रकरण में थाना पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया। परिणामस्वरूप **माननीय न्यायालय द्वारा राजेश पुत्र सूबेदार नि0मो0 बडीलतपुरी, थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹32 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य अपराधों में अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हें कठोर दण्ड दिलाने का अभियान निरन्तर जारी है। ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से अपराधियों में कानून का भय एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।